ro.thane@epfindia.gov.in

Tel. No. 25838444/45
Fax no.25838446

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees' Provident Fund Organisation

(श्रम मंत्रालय, भारत सरकार) (Ministry of Labour, Govt. of India)
क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे / Regional Office, Thane
वरदान कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, छठी मंज़िल, एम.आई.डी.सी. रोड नं.16, वागले इस्टेट, ठाणे (प.)-400 604
Vardan Commercial Complex, 6th Floor, M.I.D.C., Wagle Estate, Thane (W) – 400 604

सं./महा/भनि/ठाणे/मा.सं.प्र.-II/2017-18/निविदा/ दिनांक- /12/2017

विषय: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे-II के लिए भाड़े पर एक वाहन हेतु निविदा का आमंत्रण।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत निकाय है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए भाड़े पर एक वाहन हेतु मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। नियम एवं शर्तों सहित निविदा फॉर्म इस कार्यालय के सहायक भविष्य निधि आयुक्त (मासंप्र)से दिनाक 24/01/2018 तक, किसी भी कार्य दिवस (सोमवार से शुक्रवार) सुबह 10.00 बजे से दोपहर 5.00 बजे तक, क्षेभनिआ के पक्ष में राशि रुपये 250/- (दो सौ पचास मात्र) डीडी के माध्यम से भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। इच्छुक पार्टी अपनी मुहरबंद निविदा सहायक भविष्य निधि आयुक्त (मासंप्र) को सम्बोधित करते हुए मुहरबंद लिफाफे में ऊपर अलग से " वाहन की आपूर्ति हेतु निविदा " लिखकर उक्त आयुक्त के कक्ष, 6वीं फ्लोर, वरदान कॉम्प्लेक्स, एमआईडीसी, वागले इस्टेट, ठाणे(प)-400604 में रखे ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते है। निविदा 25/01/2018 को सुबह 11.00 बजे तक पहुच जानी चाहिए। निविदा उसी दिन दोपहर 4.00 बजे, जिनके पास एजेन्सी का वैध पहचानपत्र हो और जो वहाँ उपास्थित रहना चाहता है, फ़र्म के ऐसे प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी

निविदा अनुसूची

ऑनलाइन निविदा जमा करने की अंतिम तारीख	- 25/01/2018 सुबह 11.00.00 बजे तक
इएमडी राशि	- रु. 15,000 (रुपये पंद्रह हजार मात्र)
निविदा खुलने की तिथि एवं समय	- 25/01/2018 दोपहर 04.00 बजे
निविदा दस्तावेज़ की कीमत	- रुपये 250/-

निविदा के नियम एवं शर्तें निम्नलिखित है :-

1. सभी खर्चे/ ड्राइवर का शुल्क, ऑइल, पेट्रोल/डीजल, बीमा, टैक्स, मरम्मत एवं वाहन का रखरखाव आदि जिस किसी नाम से हो, को दूसरी पार्टी द्वारा वहन किया जाएगा।
2. मारुति/होंडा/हाइहुंडाई/फोर्ड के मॉडेल को प्राथमिकता दी जाएगी या उसी प्रकार के ब्रांड के वाहन जो अच्छी कार्य स्थिति में हो और जिनका निर्माण 2 साल से पहले न हुआ हो। ब्रेक-डाउन की स्थिति में समान या उच्च श्रेणी का वाहन उपलब्ध करना होगा। किसी भी प्रकार का ओवर टाइम शुल्क या रात्रि शुल्क या अन्य अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा और वाहन अच्छी कार्य स्थिति में हो।
3. मोटर वाहन अधिनियम के उपबंधों एवं अन्य संबंधित कानूनों का पालन ड्राईवर और वाहन करते हों। ड्राईवर को वर्दी (सफ़ेद सफारी सूट / सफ़ेद शर्ट-पैंट) पहनना होगा। उसकी सेवाएँ नियंत्रक अधिकारी के संतुष्टि के अधीन होगी। अधिकारी के अनुदेश पर यदि किसी ड्राईवर को कभी हटाया जाए तो विभाग के अन्य अधिकारी के साथ उसकी नियुक्ति नहीं होगी।

........2

4. रैश ड्राइविंग/दुर्घटना आदि के कारण उत्पन्न कानूनी एवं आर्थिक परिणामों के लिए द्वितीय पार्टी/ड्राईवर पूर्ण रूप से एवं एकमात्र जिम्मेदार होगा।
5. वाहन में फुएलिंग एवं वाहन के मरम्मत और रखरखाव हेतु व्यय माईलेज एवं समय को शामिल नहीं किया जाएगा।
6. माईलेज की गणना प्रथम पार्टी के कार्यालय से की जाएगी।
7. वाहन ब्रेक डाउन या मरम्मत या ड्राईवर की अनुपस्थिति या ड्राईवर के नशे की हालत में पाये जाने की स्थिति में आधे घंटे के भीतर दूसरी पार्टी को वैकल्पिक वाहन और ड्राईवर उपलब्ध करवाना होगा। तथापि, दूसरी पार्टी ऐसा करने में असफल होती है तो या वैकल्पिक वाहन/ड्राईवर उक्त योग्यता अनुरूप न हो, तो प्रथम पार्टी अन्य वाहन जो चालक सहित हो, को भाड़े पर लेने हेतु पात्र होगी एवं जिसका शुल्क और दंड रु. 1500/- प्रतिदिन के दर से दूसरी पार्टी से वसूल करेगी।
8. किराए पर वाहन करार को किसी भी पार्टी द्वारा 45 दिन पूर्व नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।
9. वाहन और ड्राईवर जोन/क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के बाहर भी यात्रा करने हेतु पात्र/इच्छुक होगा।
10. दूसरी पार्टी को प्रस्तुत किराया शुल्कों का भुगतान अकाउंट पेई चेक द्वारा,आयकर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार यथा देय कर की कटौती के उपरांत मासिक आधार पर किया जाएगा।
11. किराया शुल्क की गणना हेतु दूसरी पार्टी को लॉग बुक उपलब्ध कराना होगा। लॉग बुक का फॉर्म वही होगा जो केंद्रीय सरकार/कर्मचारी भविष्य निधि विभाग द्वारा उनके कार्यालयीन वाहन हेतु रखा जाता है। लॉग बुक का दूसरी पार्टी द्वारा रख-रखाव किया जाएगा और इसका प्रतिदिन आधार पर सत्यापन स्वयं पार्टी द्वारा या उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जाएगा। करार के समाप्त होने पर दूसरी पार्टी द्वारा लॉग बुक जमा कर दी जाए।
12. ड्राईवर/वाहन द्वारा रिपोर्ट करने की समय-सीमा का सख्ती से पालन किया जाए और आधे घंटे से ज्यादा विलंब की स्थिति में प्रथम पार्टी अन्य वाहन चालक सहित वाहन लेने के पात्र होगी जिसका किराया शुल्क और इस चूक के लिए रु. 1000/- रुपये प्रतिदिन दंड के रूप में वसूल करेगी।
13. यदि दूसरी पार्टी द्वारा वाहन का समय पर और उचित रख-रखाव नहीं किया गया तो प्रथम पार्टी को यह अधिकार होगा कि वह मरम्मत का कार्य करवाएगी और देय किराया शुल्क से राशि की कटौती की जाएगी। यदि वाहन अच्छी स्थिति में नहीं रखा गया तो किराया करार को 15 दिन पूर्व नोटिस जारी कर समाप्त कर दिया जाएगा।
14. दूसरी पार्टी किराया शुल्क 2800 कि.मी. की दूरी के लिए मासिक बिल अगले माह के 15 तारीख या उससे पूर्व प्रस्तुत करेगी और तदनुसार प्रथम पार्टी द्वारा भुगतान किया जाएगा। तथापि, वाहन की कुल यात्रा का मूल्यांकन करार के अंत में किया जाएगा।
15. वाहन से संबंधित सभी खर्चों और कानूनी आवश्यकताओं को दूसरी पार्टी को पूरा करना होगा।
16. मासिक किराया शुल्क में सभी करों की लेवी, सेस आदि शामिल होंगे, बशर्ते विशेष रूप से अन्यथा विनिर्देशित हो।
17. सभी दिन चालक का कार्य समय प्रात: 9.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक होगा। आपात स्थिति में चालक को 08 घंटों से अधिक समय के लिए रखा जा सकता है और ओवरटाइम दिया जाएगा। यदि चालक शराब या अन्य नशा जिसमें ड्रग्स भी शामिल है, के प्रभाव में पाया गया तो 1500/- रुपए दंड के रूप में कटौती की जाएगी।
18. करार के उपबंधों के अंतर्गत यदि दूसरी पार्टी को अधिक शुल्क या ऐसी राशि देय होगी तो प्रथम पार्टी उसे अदा करने की एततद्वारा प्रसंविदा करती है।

......3

19. प्रथम पार्टी द्वारा किराया आधार पर अनेक्स्चर 'A' में दी गई दरों के अनुसार दूसरी पार्टी को भुगतान किया जाएगा।
20. एजेंसी के पास अन्य स्थापनाओं के तीन से चार तक कार्य आदेश हो और वार्षिक टर्नओवर कम से कम 20 लाख हो।
21. सभी कानूनी विवाद ठाणे के क्षेत्राधिकार में होंगे।
22. संबंधित पुलिस प्राधिकारी से प्रत्येक कर्मचारी (चालक) का पुलिस सत्यापन कर लेने की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (I), क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे कोई कारण बताए बिना, किसी भी या सभी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(एस. कोमलादेवी राजा)
सहायक भ. नि. आयुक्त (मा.सं.प्र.)
क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई-II, थाणे

E-mail: rothane@epfindia.gov.in
Tel. No. 25838444/45
Fax no. 25838446

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees' Provident Fund Organisation

(श्रम मंत्रालय, भारत सरकार) (Ministry of Labour, Govt. of India)
क्षेत्रीय कार्यालय, थाने, Regional Office, Thane
वरदान कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, छठी मंजिल, एम.आई.डी.सी., रोड न - 16, वाग्ले इस्टेट, थाने (प.) -400 604
Vardan Commercial Complex, 6th Floor, M.I.D.C., Wagle Estate, Thane (W) – 400 604

No. MH/PF/RO THANE/HRM-II/2017-18/2 Date :- 27.11.2017

Subject : Notice Inviting Tender for **hiring of one vehicle** for the Employees' P.F. Organisation, Regional Office, Thane-II.

Employees' Provident Fund Organisation, is an autonomous Body under the administrative control of Ministry of Labour, Govt. of India. Sealed tenders are invited for hiring a vehicle for the period of one year in respect of Employees' PF Organisation, RO, Thane. The tender form alongwith terms and conditions can be obtained from The Assistant PF Commissioner(HRM) of this office on any working day (Monday to Friday) from 10 am to 5 pm till 24.01.2018 by paying an amount of Rs. 250/- (Two hundred fifty only) through DD in favour of RPFC, Thane. Interested parties may drop their tender in sealed cover addressed to Assistant PF Commissioner (HRM) in the drop box placed at cabin to said commissioner at 6th floor at Vardan Commercial Complex, MIDC, Wagle Estate, Thane(W) – 400604, superscribed with the words " **Tender for supply of Vehicle**" separately. The Tender should reach latest by 25.01.2018 at 11:00 am. The tenders will be opened on the same day at 4:00 pm in the presence of the representatives of the firm who carry valid identity card of the agency and wish to be present there.

Schedule of Tender

Last date of submission of tender	25/01/2018 upto 11:00 am
Amount of EMD	Rs.15,000.00(Rupees Fifteen Thousand only)
Date & time of tender opening event	25/01/2018 at 04:00PM
Tender Document Cost	Rs.250/-

The Terms & Conditions for the tender are as follows :-

1. All expenses/charges of the driver, oil, petrol/diesel, insurances, taxes, repairs and maintenance etc, of the vehicle, by whatever name called will be borne by the second party.
2. The model of the vehicle has to be preferably Maruti/Honda/Hyundai/Ford or similar reputed brands, in good working condition, of manufacturing not more than 2 years and in case of breakdown, replacement has to be made with similar or higher category of vehicle. No overtime charges or night charges or any additional charge would be paid and has to be in good working condition.
3. The driver and the vehicle must comply with all the provisions of the Motor Vehicle Act and other relevant laws. The driver must wear the Uniform (White Safari Suit/White Shirt-Pants) at all times. His services will be subject to satisfaction of the Controlling Officer. Any driver once removed on instructions of an officer shall not be employed with any other Officer in the Department.
4. The second party/driver will be wholly and solely responsible for and liable to all legal and financial consequences arising out of rash driving/accident etc.
5. The mileage and the time consumed for fuelling repair and maintenance of the vehicle will be excluded.
6. The mileage will be counted from the office of the first party.
7. In case the vehicle breaks down or is under repair or the driver is absent or the driver is found Drunken alternative vehicle and driver will be provided by the

another chauffeur-driven vehicle and recover the charges for the same along with penalty @ Rs.1500/- per day from the second party.

8. The vehicle hire agreement can be terminated by either party after serving 15 days advance notice on the other party.
9. The vehicle and the driver should be eligible/willing to travel outside the territorial jurisdiction of the Region/Zone also.
10. On the basis of monthly bills raised by the second party, the hire charges will be paid through account payee cheque after deducting Tax at source as per the Provisions of the Income Tax Act as applicable.
11. For the purpose of calculating hire charges payable, Log Book shall be provided by the second party. Form of the Log Book will be the same as maintained by the Central Government/EPF Department for their official vehicle. The Log Book shall be maintained by the second party & it has to get the same verified on day to day basis from party either himself or through an officer designated by him. After the completion of the contract, the Log Book shall be deposited by second party.
12. The time limit for reporting of the driver/vehicle should be followed strictly and in the Case of delay or more than half an hour, the first party will be entitled to hire another Chauffer-driven Vehicle and recover the charges for the same from the hiring charges payable to the second party, along with penalty of Rs.1000/- per day of such default.
13. In case timely and proper maintenance & repairs of the vehicle are not carried out by the second party, the first party will be within its right to carry out the repairs and Deduct the amount from the hire charges payable. The hire agreement will be terminated if the vehicle is not kept in well-maintained condition by insurance of 15 days notice in advance.
14. The Second party will submit a monthly bill for hiring charge for distance of 2800 kms on or before 15 of the following month and payment will be made by the first party accordingly. However, the total running of vehicle will be reviewed at the end of the agreement.
15. All the expenses and legal formalities relating to the vehicle should be borne and performed by the second party.
16. The monthly hire charges will be inclusive of the all taxes levies, cess etc. except specifically provided as otherwise.
17. The duty hours for the drivers and vehicle will be from 9.00A.M. to 6.00P.M. on all days. In case of emergency driver can be retained beyond 08 hours duty and over time shall be allowed. In case the driver found to be under the influences of liquor or any other Intoxication including drugs, penalty of Rs.1500/- shall be deducted.
18. The first party hereby covenants to pay the second party the higher charges or such other sum as may be come payable under the provision of the contracts.
19. In consideration of payment to be made by the first party to the second party as per the rates given the Annexure "A" on hire basis.
20. The agency should have three to four work order from other establishment and minimum 20 lakhs turnover in a year.
21. All legal disputes are subject to thane jurisdiction.
22. It is responsibility of the supplier to get police verification from the respective police authorities, of each employee(Driver).

The Regional P.F. Commissioner (I) Regional Office, Thane reserves the right to accept or reject any or all the estimates without assigning any reason thereof.

S Komala

(S Komala Devi Raja)